राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

4/टोंक/1987-88
क्रमांक ....197 .

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेहरू शिक्षा प्रसार समिति टोंक जिला टोंक का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनाङ्क इकतीस माह जुलाई सन् एक हजार नौ सौ सत्तासी को ~~जयपुर~~ टोंक में दिया गया।

31.7.87

रजिस्ट्रार संस्थाएं राजस्थान,
टोंक (राज.)

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

सत्यप्रतिलिपि (5)

<u>नियम विनियमावली</u>

- संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम निम्न लिखित प्रकार ...
- संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय :- इस संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय निम्न लिखित प्रकार ... मार्टिन मादा बिल्डी के सामने , मालपुरा दरवाजा पुरानी ... है व रहेगा ।
- कार्य क्षेत्र :- इस संस्था का कार्य क्षेत्र टोंक जिला है व रहेगा ।
- उद्देश्य :- इस संस्था के निम्न उद्देश्य है व रहेंगे :-

  {क} मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों में शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ... विकास व चेतना जागृत करते हुये ऐसी व्यवस्था करना होगा जिससे ... भविष्य में सुयोग्य एंव सुसंस्कृत नागरिक बनसकें ।

  {ख} राजस्थान प्रदेश की महिलाओं ,बालकों एंव युवा वर्ग को औद्योगिक प्रशिक्षण देना और केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें सुचारू चलाना ।

  {ग} समस्त सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन देना व उनकी व्यवस्था करना ।

  {घ} शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना ।

  {च} शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत बालवाडी, पोषाहार कार्यक्रम चलाना ।

  {छ} तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान करना ।

  {ज} हिन्दी अंग्रजी , संस्कृत उर्दू भाषा का प्रचार करना ।

  {झ} युवा वर्ग , महिलाओं , प्रोढो एंव बालको को हस्त कला, ललित कला, संगीत, कटाई, बुनाई, केनिंग, गृह विज्ञान एंव छोटे-छोटे उद्योगो की शिक्षा ...

  {ट} पुस्तकालय, वाचनालय, प्रोढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना एंव ...

  {ठ} राज्य एंव केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता एंव अनुदान प्राप्त कर निर्धारित किये गये नियमों का पालन करना. ।

  {ड} समाज के कल्याण हेतु राज्य एंव केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को सम्बन्धित सरकार से अनुमति प्राप्त कर चलाना । व सुविधायें प्राप्त ...

  {ढ} विभिन्न जाति , अनुसूचित जाति , जन जाति की महिलायें एंव ... विधवाओं के उत्थान के लिये कार्य करना ।

  {ण} उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है ।

5- सदस्यों के प्रकार :- संस्था के सदस्य दो प्रकार के होंगें {1} साधारण {2} आजीवन

6- साधारण सदस्य द्वारा दिये जाने वाला शुल्क , चन्दा :- समिति को 51/- रूपये की आर्थिक सहायता देने वाला संस्था के पांच वर्ष के सदस्य माने जायेंगें । निश्चित तिथी से दो माह तक सहायता की राशी नदेने पर सदस्यता से पृथक हुआ माना जायेगा ।

कृ · पृ० प० उ०

112/11

7- आजीवन सदस्य द्वारा दिये जाने वाला शुल्क व चंदा — संस्थापक शुल्क ।ख। - रुपये या अधिक का दानी देने वाला

8- साधारण सभा — आजीवन व साधारण सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9- साधारण सभा के अधि० एंव कर्तव्य

।क। कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार [illegible] करना ।

।ख। कार्यकारिणी में पदाधिकारियों का निर्वाचन [illegible]

।ग। मिटिंग के कुल सदस्यों का 1/4 कोरम उपस्थित होना अनिवार्य होगा । विधान में संशोधन संबंधी प्रस्तावों [illegible] निर्णय के लिए उपस्थिति का 2/3 बहुमत आवश्यक है ।

10- साधा० सभा की बैठकें

।क। साधा० सभा की बैठक वर्ष में कम से कम । बार होगी [illegible]

।ख। इसमें कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों की उपस्थिति [illegible] -वायक होगी ।

।ग। समस्त सदस्यों को सात दिवस पूर्व सूचना दी जावेगी [illegible]

।घ। अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी जिसे [illegible] तीन दिवस की सूचना पर्याप्त होगी ।

।ङ.। कोरम व स्थगित बैठक दो या तीन [illegible] बुलाइ जा सकेगी किन्तु पूर्व सूचना में दिये गये [illegible] पर ही विचार होगा ।

11-कार्यकारिणीका गठन — साधारण सभा द्वारा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों [illegible] गठन किया जावेगा जिसमें चुने हुये पदाधिकारी [illegible] अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष [illegible]

12- कार्य० का चुनाव

।अ। साधा०सभा द्वारा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों [illegible] प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जावेगा ।

।ब। चुनी हुयी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव प्रति एक वर्ष के लिए होगा किसी भी पदाधिकारी के [illegible] मृत्यु या बाहर चले जाने की स्थिति में कार्यकारिणी [illegible] पदाधिकारियों द्वारा रिक्त पद की पूर्ति साधारण सभा [illegible]

।स।के लिए सहवरण द्वारा करली जावेगी ।

।स। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा होगी।

13-कार्य० की बैठक

।अ। वर्ष मे कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी ।

।ब। बैठक में कुलपदाधिकारियों में से 2/3 की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

।स। सूचना सचिव द्वारा बैठक की तिथि से 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

।द। आवश्यक बैठक 24घन्टे पूर्व की सूचना पर बुलाई जासकेगी।

क्रमशः

।घ। कोरम न स्थगित बैठक एक घन्टे बाद पुनः बुलाई जा सकती [illegible]

4-कार्य0 के अधिकार व कर्तव्य

।क। कार्यकारिणी समिति अपने पदाधिकारियों व सदस्यों के [illegible] से संस्था के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

।ख। किसी भी साधारण सदस्य को उसकी निष्ठा, विष्ठा के [illegible] पर बिना कोई कारण बताए सदस्यता से पृथक करने का [illegible] कार्यकारिणी को होगा ।

।ग। नये सद सदस्यों की योग्यता के आधार पर साधारण [illegible] रूपमें चयनका अधिकार बहुमत के आधारपर कार्यकारिणी को होगा ।

।घ। विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना ।

।च। आहरण वितरण करना ।

।छ। आवश्यकतानुसार साधारण सभा की मीटिंग बुलाना तथा वार्षिक बजट बनाना ।

15- पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्तव्य

अध्यक्ष - । क । कार्यकारिणी एंव साधारण सभा की अध्यक्षता [illegible]

। ख । सचिव द्वारा प्रस्तुत समस्त विषयों पर अपनी [illegible] अनुसार निर्णय देना । बराबर के विषयों को कार्य- - कारिणी में प्रस्तुत करना ।

। ग । अध्यक्ष को एक समय में 500/- रुपये व्यय करने का [illegible] होगा ।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्षता के पूर्ण अधिकार [illegible]

सचिव - ।क। समिति द्वारा संचालित केन्द्रों का प्रशासनिक दायित्व [illegible] करेगा । । ख । कार्यकारणी एंव संस्था की आम [illegible] कार्यवाही का संचालन करना व पूर्ण ब्योरा रखना ।

। ग। संस्था सम्बधित सभी पत्र व्यवहार करना व उनको [illegible] संचिकाओं में व्यवस्थित करना ।

। घ ।।संस्था के समस्त आय व्यय का अवलोकन , निरीक्षण [illegible] के लिये कार्य करना । । च। कोषाध्यक्ष द्वारा [illegible] निरीक्षण एंव उसमें पाइ गई आपत्तियाँ एंव कमियो के आधार पर कोषाध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना ।

। छ। सचिव को कार्य कारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय के अतिरिक्त [illegible] समय में 400 / - रुपय तक व्यय करने का अधिकार होगा ।

कृ0 प0 उ0